न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 156/2022

अमरजीतसिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख आयु 61 वर्ष निवासी 7 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1.	श्री तेजा सिंह	– – प्रार्थी
2.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–30.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मकान नम्बर 280 शक्तिनगर वार्ड नम्बर 4, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, पटवार हल्का मोहनपुरा का स्थाई निवासी है। प्रार्थी का जो प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में पता दिया है वह सही व अपेक्षित है । प्रार्थी के नाम से चक 7 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा के खाता संख्या नया 19 पुराना मुरब्बा नम्बर 21 में कृषि भूमि है जो प्रार्थी के नाम से है। जिसकी जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थी का सही व आधार कार्ड व शिक्षा विभाग व पेन कार्ड में नाम अमरजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह है। सभी दस्तावेजों में अमरजीत सिंह नाम है लेकन जमावन्दी में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा सहबन भूल से एक खाते में जगजीत सिंह कर दिया। जबकि यह एक लिपिकीय भूल है । वास्तव में प्रार्थी का नाम अमरजीत सिंह ही है। इसलिए प्रार्थी जमाबन्दी पटवार हल्का मोहनपुरा मुरब्बा नम्बर 21 की दुरूस्त करवाकर अमरजीत करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण लेना हो या अन्य कोई इस भूमि से सम्बन्धित कार्य करना हो तो जमाबन्दी में जगजीत सिंह नाम होने के कारण प्रार्थी न तो ऋण ले सकता है न ही सरकार द्वारा कोई नयी योजना आती है उसका लाभ ले सकता है। क्योंकि प्रार्थी के शिक्षा विभाग के सभी दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड सभी में अमरजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह नाम दर्ज है। इसलिए न्यायहित में जगजीत सिंह नाम को दुरूस्त कर अमरजीत सिंह नाम जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक व उचित है। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जमाबन्दी में दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा चक 7 वाई खाता सं. 19/21 मुरब्बा नम्बर 21 में जमाबन्दी में जगजीत सिंह की जगह अमरजीत सिंह नाम दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया। इसी कारण प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र बाबत दुरूस्ती जमाबन्दी चक 7 वाई खाता संख्या 19/21 मुरब्बा नम्बर 21 में जगजीत सिंह के स्थान पर अमरजीत सिंह दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 3730 दिनांक 27.06.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक सैटलमेंट विभाग की जमाबंदी संवत 2026--2027 के अनुसार मु.नं. 21 किला नं. 24, 5 का रकबा जगजीतसिंह पुत्र हरनेक सिंह कौम जट सिख सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। पटवारी हलका द्वारा सहवन से नाम मे कोई त्रुटि नहीं हुई है। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार योग्य नही पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner